

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1.) राजेश मांझी पिता- स्व. शंकर मांझी , 2.) राजेश मुर्मू पिता- श्री छोटेलाल मांझी, 3.) सिद्धेश्वर मांझी पिता- स्व. प्रभु मांझी, 4.) बिनोद सोरेन पिता- स्व. घरका मांझी, 5.) नंदकिशोर मांझी पिता- श्री नामनारायण मांझी , 6.) राजदेव मुर्मू पिता- श्री. बाबू चंद मुर्मू, 7.) राजू मांझी पिता- स्व. शनिचर मांझी, 8.) प्रेम कुमार बेसरा पिता- शिवजी बेसरा , 9.) बबलु मांझी पिता- लोदो मांझी, 10.) शिव कुमार बेसरा पिता- शिवनरायण मांझी, 11.) राजदेव बेसरा पिता- स्व. बरजु मांझी, 12.) राज बेसरा पिता- स्व. बरजु मांझी, 13.) दीपक बेसरा पिता- श्री मनान मांझी, 14.) संतोष कुमार टूह पिता- श्री बोबिका मांझी, 15.) काली दास मांझी पिता- स्व. बासुदेव मांझी, 16.) सीमा देवी पति- श्री सुरज कुमार 17.) रंगु मांझी पिता- श्री रितू मांझी, 18.) मनीष कुमार सोरेन पिता- राजा राम मांझी, 19.) लालमुनी देवी पति- स्व. चामो मांझी, 20.) दिनेश मांझी पिता- स्व. रूपन मांझी, 21.) बहाराम सोरेन पिता- श्री लखन मांझी। ग्राम- डाढ़ी, थाना- गिद्दी जिला - हजारीबाग (झारखण्ड) को सी भी ऐ, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- डाढ़ी, थाना सं. 43 (गैर मज़रुवा खास एवं गैर मज़रुवा खास (जंगल- झारी भूमि)) खाता सं. 90 के अधीन प्लॉट सं. 803(P), 954(P), 944(P), 1486(P) एवं 867(P); कुल रकम 42.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेज एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।

1/12/2023  
29/01/2023